तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 121/2020 अनवान पूनमाराम बनाम मूलाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02/08/21		

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 06, 07, 08, 14, 16, व 14 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा नैनवा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1177/354 रकबा 02.00 बीघा, खसरा संख्या 1285/354 रकबा 22.10 बीघा व खसरा संख्या 1292/354 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 34.10 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 06, 07, 08, 14, 16, व 14 का कथन है कि अप्रार्थीगण खसरा संख्या 350 के खातेदार है जिसकी सीमा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 354 से सीमा नही मिलती है। इनके मध्य शिवकर से गालाबेरी जाने वाली सड़क स्थित है। प्रार्थीगण का खेत सड़क मार्ग से स्पर्श होने से तहसीलदार बाडमेर आवश्यक पक्षकार है परन्तु तहसीलदार बाडमेर को पक्षकार नही बनाया गया है, जो पक्षकारों का कुसंयोजन है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मौके का सही ढंग से सीमाज्ञान भी नही करवाया है। सीमाज्ञान फर्द गलत तैयार की गई है। आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण उपवर्णित भूमि के अभिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। वकील अप्रार्थीगण का यह कथन कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान सही तरिके से नही किया गया है, इसका भी निस्तारण नेखमबन्दी के माध्यम से हो जायेगा।

अतः प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मद्देनजर आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा नैनवा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1177/354 रकबा 02.00 बीघा, खसरा संख्या 1285/354 रकबा 22.10 बीघा व

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 121/2020 अनवान पूनमाराम बनाम मूलाराम**
	खसरा संख्या 1292/354 रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 34.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देष दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देष दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर